संख्या : 129/VIII/940–श्रम/2003

प्रेषक,

सोहन लाल
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

श्रमायुक्त,
उत्तरांचल, हल्द्वानी जिला नैनीताल ।

देहरादून : दिनांक 17 जनवरी, 2006

श्रम एवं सेवायोजन विभाग

विषयः वित्तीय वर्ष 2005–06 में आयोजनागत पक्ष में श्रम न्यायालय, देहरादून के निर्माणाधीन भवन हेतु अवशेष द्वितीय किश्त अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्रांक : 04/लेखा–बजट–कैम्प/2005 दिनांक : 03,जनवरी–2006 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्रम न्यायालय,देहरादून के भवन निर्माण हेतु अधिशासी अभियन्ता,उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद, देहरादून द्वारा प्रस्तुत आंगणन रूपये 57.28 लाख के सापेक्ष टी0ए0सी0 द्वारा परिक्षणोपरांत संस्तुत धनराशि रूपये 53.29 लाख के आंगणन की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए रूपये 11,00,000/–की धनराशि शासनादेश संख्या : 603/श्रम सेवा/940–श्रम/2003, दिनांक: 26,मार्च,2004 द्वारा स्वीकृत की गयी थी ।

2– इस सम्बन्ध में आपके उपरोक्त प्रस्ताव दिनांक 03,जनवरी–2006 एवं समसंख्यक शासनादेश दिनांक 26,मार्च–2004 के प्रस्तर–2 में अंकित शर्त के क्रम में श्रम न्यायालय, देहरादून के निर्माणाधीन भवन को गतिमान रखने हेतु आलोच्य वित्तीय वर्ष–2005–06 में संस्तुत आंगणन की धनराशि के विपरीत पूर्व में स्वीकृत धनराशि रूपये 11,00,000/– के अतिरिक्त द्वितीय किश्त के रूप में आपके प्रस्तावानुसार धनराशि रूपये 18,31,000/– (रूपये अठारह लाख इक्कतीस हजार मात्र) को व्यय किए जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

3– उक्त धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ एवं शर्तों के अधीन आपके निवर्तन पर रखी जा रही है कि उक्त मद में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाये। यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नही देता है, जिसे व्यय करने से बजट मैनुअल या वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों का उल्लंघन होता हों। जहाँ व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, वहाँ ऐसा व्यय सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जायेगा। व्यय में मितव्ययता नितांत आवश्यक है, मितव्ययता के संबंध में समय–समय पर जारी शासनादेशों/अन्य आदेशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाये। व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा जिसके लिये यह स्वीकृत किया जा रहा है।

4– स्वीकृत धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नही देता है, जिसे व्यय करने के लिये बजट मैनुअल या वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों का उल्लंघन होता हो। व्यय उसी मदों/प्रयोजन में किया जायेगा, जिसके लिये यह स्वीकृत किया जा रहा है। व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक है।

5– शासनादेश संख्या : 603/श्रम सेवा/940–श्रम/2003, दिनांक: 26,मार्च.2004 में उल्लिखित प्रस्तर–3,4,5,6,7 तथा प्रस्तर–8 में अंकित समस्त शर्तें (1 से 8 तक) यथावत् प्रभावी रहेंगी ।

6– व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिनके लिये यह स्वीकृत किया जा रहा है।

7– कार्य करते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, स्टोर पर्चेज रूल्स एवं मितव्ययता के संबंध में समय–समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन किया जायेगा।

8– उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2005–06 हेतु अनुदान संख्या–16 मुख्य लेखाशीर्षक–4216–आवास पर पूंजीगत् परिव्यय, 80–सामान्य,आयोजनागत्–001–निदेशन तथा प्रशासन, 03– श्रमायुक्त के अधीन आवासीय/अनावासीय भवन/भूमि क्रय–00–24– वृहत्त निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा ।

9– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या: यू0ओ0 42/XXVII(5)/2005, दिनांक: 23,जनवरी–2006 के अन्तर्गत प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

(सोहन लाल)
अपर सचिव।

पृष्ठांकन संख्या:(29)/VIII/940–श्रम/2003 तद्दिनांकित :–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।
2– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी ।
3– जिलाधिकारी, देहरादून ।
4– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून ।
5– अधिशासी अभियन्ता, उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद नेहरू कालोनी,देहरादून ।
6– वित्त अनुभाग–5
7– नियोजन विभाग, उत्तरांचल शासन।
8– एन0आई0सी0, सचिवालय, देहरादून।
9– निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी ।
10– निजी सचिव, मा0 श्रम मंत्री जी।
11– निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन।
12– वित्त बजट अनुभाग ।
13– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(आर0के0 चौहान)
अनुसचिव।

संख्याः 2521/VIII/05–574–प्रशि/2003

प्रेषक,

सोहन लाल
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशिक्षण एवं सेवायोजन,
उत्तरांचल, हल्द्वानी,

श्रम एवं सेवायोजन विभाग

देहरादून : दिनांकः 27 जनवरी, 2006

विषयः वित्तीय वर्ष 2005–06 में आयोजनागत पक्ष में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, दुगड्डा, जनपद–पौड़ी गढ़वाल के निर्माणाधीन भवन हेतु द्वितीय किश्त अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्रांकः डी0टी0ई0यू0/0450/भवन/दुगड्डा/2005/8348, दिनांक 17.12.2005 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान दुगड्डा, जनपद–पौड़ी के भवन निर्माण हेतु प्रबन्ध निदेशक, गढ़वाल मण्डल विकास निगम,देहरादून द्वारा प्रस्तुत आंगणन रूपये 162.28 लाख के सापेक्ष टी0ए0सी0 द्वारा परिक्षणोपरांत संस्तुत धनराशि रूपये 132.93 लाख के आंगणन की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए रूपये 40 लाख की धनराशि शासनादेश संख्याः 203/VIII/05–574–प्रशि/2003, दिनांकः 20.02.2005 द्वारा स्वीकृत की गयी थी ।

2– इस सम्बन्ध में आपके उपरोक्त प्रस्ताव दिनांक 17,दिसम्बर–2005 एवं समसंख्यक शासनादेश दिनांक 20,फरवरी–2005 के प्रस्तर–2 में अंकित शर्त के क्रम में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, दुगड्डा जनपद पौड़ी गढ़वाल के निर्माणाधीन भवन के निर्माण को गतिमान रखने के उद्देश्य से आलोच्य वित्तीय वर्ष–2005–06 में संस्तुत आंगणन की धनराशि के विपरीत पूर्व में स्वीकृत धनराशि रूपये 40 लाख के अतिरिक्त द्वितीय किश्त के रूप में रूपये 40 लाख (रूपये चालीस लाख मात्र) को व्यय किए जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

3– उक्त धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ एवं शर्तो के अधीन आपके निवर्तन पर रखी जा रही है कि उक्त मद में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाये। यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नही देता है, जिसे व्यय करने से बजट मैनुअल या वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों का उल्लंघन होता हों। जहाँ व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, वहाँ ऐसा व्यय सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जायेगा। व्यय में मितव्ययता नितांत आवश्यक है, मितव्ययता के संबंध में समय–समय पर जारी शासनादेशों/अन्य आदेशों का अनुपालन कडाई से सुनिश्चित किया जाये। व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा जिसके लिये यह स्वीकृत किया जा रहा है।

4– स्वीकृत धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नही देता है, जिसे व्यय करने के लिये बजट मैनुअल या वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों का उल्लंघन होता हो। व्यय उसी मदों/प्रयोजन में किया जायेगा, जिसके लिये यह स्वीकृत किया जा रहा है। व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक है।

5– शासनादेश संख्या : 203/VIII/05–574–प्रशि/2003, दिनांक: 20.02.2005 में उल्लिखित प्रस्तर–4,5,6,7 तथा प्रस्तर–8 में अंकित समस्त शर्ते (1 से 8 तक) यथावत् प्रभावी रहेंगी ।

6– व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिनके लिये यह स्वीकृत किया जा रहा है।

7– कार्य करते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, स्टोर पर्चेज रूल्स एवं मितव्ययता के संबंध में समय–समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन किया जायेगा।

8– उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2005–06 हेतु अनुदान संख्या–16 मुख्य लेखाशीर्षक–4216–आवास पर पूंजीगत् परिव्यय, 80–सामान्य–001–निदेशन तथा प्रशासन, 07–राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का सुदृढ़ीकरण–00–24– वृहत्त निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा ।

9– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या: यू0ओ0: 41/XXVII(5)/2006 दिनांक: 19,जनवरी–2006 के अन्तर्गत प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय

(सोहन लाल)
अपर सचिव।

पृष्ठांकन संख्या: 2521/VIII/05–574–प्रशि/2003, तद्दिनांकित :–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।
2– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल।
जिलाधिकारी, पौड़ी ।
4– कोषाधिकारी, पौड़ी ।
5– प्रधान प्रबन्धक (निर्माण), गढ़वाल मण्डल विकास निगम लि0, 74/1 राजपुर रोड़, देहरादून।
6– वित्त अनुभाग–5
7– नियोजन विभाग, उत्तरांचल शासन।
8– एन0आई0सी0, सचिवालय, देहरादून।
9– निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी ।
10– निजी सचिव, मा0 श्रम मंत्री जी।
11– निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन।
12– वित्त बजट अनुभाग ।
13– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(आर0के0 चौहान)
अनुसचिव।

संख्या : /VIII/05–565–प्रशि/2003

प्रेषक,

सोहन लाल
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशिक्षण एवं सेवायोजन,
उत्तरांचल, हल्द्वानी,

देहरादून : दिनांक:27 जनवरी, 2006

श्रम एवं सेवायोजन विभाग

विषयः वित्तीय वर्ष 2005–06 में आयोजनागत पक्ष में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, चमियाला जनपद–टिहरी गढ़वाल के निर्माणाधीन भवन हेतु अवशेष अंतिम किश्त अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्रांक: डी0टी0ई0यू0/0450/भवन/दुगड्डा/2005/8348, दिनांक 17.12.2005 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान चमियाला, जनपद–टिहरी गढ़वाल के भवन निर्माण हेतु प्रबन्ध निदेशक, गढ़वाल मण्डल विकास निगम,देहरादून द्वारा प्रस्तुत आंगणन रूपये 79.65 लाख के सापेक्ष टी0ए0सी0 द्वारा परिक्षणोपरांत संस्तुत धनराशि रूपये 73.58 लाख के आंगणन की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए रूपये 4 लाख की धनराशि शासनादेश संख्या : 562/VIII/05–565–प्रशि/2002, दिनांक: 31,मार्च,2005 द्वा स्वीकृत की गयी थी ।

2– इस सम्बन्ध में आपके उपरोक्त प्रस्ताव दिनांक 17,दिसम्बर–2005 एवं समसंख्यक शासना दिनांक 31,मार्च–2005 के प्रस्तर–2 में अंकित शर्त के क्रम में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थ चमियाला जनपद टिहरी गढ़वाल के निर्माणाधीन भवन को पूर्ण किए जाने हेतु आलोच्य वि वर्ष–2005–06 में संस्तुत आंगणन की धनराशि के विपरीत पूर्व में स्वीकृत धनराशि रूपये 40 लाख अतिरिक्त अंतिम किश्त के रूप में अवशेष धनराशि रूपये 33,58,000/– (रूपये तैंतीस लाख अ हजार मात्र) को व्यय किए जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

3– उक्त धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ एवं शर्तो के अधीन आपके निवर्तन पर रखी जा रही उक्त मद में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाये। यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नही देता है, जिसे व्यय करने से मैनुअल या वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों का उल्लंघन होता हों। जहाँ व्यय क पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, वहाँ ऐसा व्यय सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त क किया जायेगा। व्यय में मितव्ययता नितांत आवश्यक है, मितव्ययता के संबंध मे समय–समय प शासनादेशों/अन्य आदेशों का अनुपालन कडाई से सुनिश्चित किया जाये। व्यय उन्हीं मदों जायेगा जिसके लिये यह स्वीकृत किया जा रहा है।

4– स्वीकृत धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नही देता है, जि करने के लिये बजट मैनुअल या वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों का उल्लंघन

व्यय उसी मदों/प्रयोजन में किया जायेगा, जिसके लिये यह स्वीकृत किया जा रहा है। व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक है।

5- शासनादेश संख्या : 562/VIII/05-565-प्रशि/2002, दिनांक: 31,मार्च.2005 में उल्लिखित प्रस्तर-4,5,6,7 तथा प्रस्तर-8 में अंकित समस्त शर्तें (1 से 8 तक) यथावत् प्रभावी रहेंगी ।

6- व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिनके लिये यह स्वीकृत किया जा रहा है।

7- कार्य करते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, स्टोर पर्चेज रूल्स एवं मितव्ययता के संबंध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन किया जायेगा।

8- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2005-06 हेतु अनुदान संख्या-16 मुख्य लेखाशीर्षक-4216-आवास पर पूंजीगत् परिव्यय, 80-सामान्य-001-निदेशन तथा प्रशासन, 07-राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का सुद्वढ़ीकरण-00-24- वृहत्त निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा ।

9- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या: यू0ओ0: 39/XXVII(5)/2005, दिनांक: 19, जनवरी-2006 के अन्तर्गत प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय

(सोहन लाल)
अपर सचिव।

पृ0अंकन संख्या: 122/VIII/05-565-प्रशि/2003, तद्दिनांकित :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।
2- आयुक्त, गढ़वाल मण्डल।
3- जिलाधिकारी, टिहरी ।
4- कोषाधिकारी, टिहरी ।
5- प्रधान प्रबन्धक (निर्माण), गढ़वाल मण्डल विकास निगम लि0, 74/1 राजपुर रोड़, देहरादून।
6- वित्त अनुभाग-5
7- नियोजन विभाग, उत्तरांचल शासन।
8- एन0आई0सी0, सचिवालय, देहरादून।
9- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी ।
10- निजी सचिव, मा0 श्रम मंत्री जी।
11- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन।
12- वित्त बजट अनुभाग ।
13- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(आर0के0 चौहान)
अनुसचिव।